

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2015
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एंटीमाइक्रोबायल प्रतिरोध के मामले

†2015. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विश्व में एंटीमाइक्रोबायल प्रतिरोध (एएमआर) के लगभग 40 प्रतिशत मामले भारत में होते हैं, जिसमें सम्पूर्ण देश में प्रतिवर्ष लगभग 60,000 मौतें होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधियों के प्रति ई-कोलाई और क्लेबसिएला न्यूमोनिया जैसे प्रमुख रोगजनकों का प्रतिरोध तेजी से बढ़ा है और 2023 में संवेदनशीलता दर 20 प्रतिशत से कम हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में एंटीबायोटिक औषधियों के निर्धारण हेतु वर्तमान विनियामक ढांचा अपर्याप्त पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) सरकार द्वारा इस अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
- (ङ) क्या एएमआर नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय एंटीमाइक्रोबायल निगरानी नेटवर्क (एनएआरएस-नेट) एएमआर से निपटने में प्रभावी रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और
- (च) क्या सरकार की एएमआर से निपटने हेतु अनुसंधान और जन जागरूकता में और अधिक निवेश करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विशिष्ट कार्य-योजना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार के पास रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के कुल मामलों और एएमआर से संबंधित मौतों की जानकारी नहीं है।

(ख): ई. कोली और क्लेबसिएला न्यूमोनिया दोनों में कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशीलता में कमी आई है। किसी भी रोगाणु के लिए किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता 20 प्रतिशत से कम नहीं हुई है। डाटा और रिपोर्ट को निम्न लिंक पर देखा जा सकता है

https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Documents/1725536060_annual_report_2023.pdf

(ग) और (घ): सरकार ने एंटीबायोटिक नुस्खों को विनियमित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विवरण अनुलग्नक 1 पर संलग्न है।

(ङ): राष्ट्रीय एएमआर निवारण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एएमआर निगरानी नेटवर्क (एनएआरएस-नेट) एएमआर से निपटने में प्रभावी रहे हैं। विवरण अनुलग्नक 2 पर संलग्न हैं।

(च): सरकार ने एएमआर संबंधी शोध पर जोर दिया है और टाइफाइड डायग्नोस्टिक्स के विकास, एएमआर निगरानी को मध्यम स्तर के अस्पतालों तक विस्तारित करने, विशिष्ट परिचर्या अस्पतालों में रोगाणुरोधी प्रबंधन कार्यान्वयन, एएमआर की रोकथाम के संबंध में टीकाकरण के प्रभाव का अध्ययन और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर) के लिए निधियां आवंटित की हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और हाथ की स्वच्छता के महत्व सहित संक्रमण की रोकथाम प्रथाओं पर जन जागरूकता सामग्री तैयार की गई है और इसका उपयोग जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के मामलों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.12.2024 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2015 के उत्तर के भाग (ग और ख) में संदर्भित अनुलग्नक

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक उपचार दिशा-निर्देश (एसटीजी) जारी किए गए हैं और वे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे <https://ncdc.mohfw.gov.in/guidelines-resources/> पर देखे जा सकते हैं।
2. सरकार ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण करना है, ताकि स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम किया जा सके।
3. विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मानक उपचार दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं।
4. भारत सरकार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। एंटीबायोटिक दवाओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची एच और एच1 में शामिल किया गया है और उन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के तहत खुदरा द्वारा बेचा जाना आवश्यक है।
5. राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जेनेरिक दवाओं के पर्चे सुनिश्चित करने और नियमित रूप से पर्चे की जांच करने की भी सलाह दी गई है।
6. प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कार्यप्रणाली राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएस) के तहत प्रमाणित होने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है।

वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी के कारण होने वाली मृत्यु के संबंध में दिनांक 06.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2015 के उत्तर के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

1. एनएआरएस-नेट साइटों की प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय एएमआर निगरानी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण एएमआर निगरानी डेटा तैयार किया जा सके। एएमआर डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सभी एनएआरएस-नेट साइटों के साथ मासिक आधार पर डेटा निगरानी और फीडबैक किया जाता है।
2. विशेष प्रयोगशाला परीक्षणों (ब्रोथ माइक्रोडिल्यूशन टेस्ट) और कोलिस्टिन और वैनकॉमाइसिन जैसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स के लिए साइटों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है
3. एनएआरएस-नेट साइटों को स्थानीय स्तर पर एएमआर डेटा का उपयोग करके एंटीमाइक्रोबियल के साक्ष्य आधारित उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें एंटीबायोग्राम विकसित करने और एंटीमाइक्रोबियल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सकों के साथ साझा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
4. राष्ट्रीय संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण (आईपीसी) दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें प्रशिक्षण मॉड्यूल में परिवर्तन किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए किया गया है और राज्यों द्वारा राज्यों के भीतर प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए एनसीडीसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
5. स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमण की निगरानी 40 स्थानों पर शुरू की गई है और गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमण (एचएआई) दरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है ताकि संक्रमण की रोकथाम के तरीकों की निगरानी की जा सके और उसे मजबूत किया जा सके
6. आम जनता और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की गई है। आईईसी सामग्री एनसीडीसी की वेबसाइट <https://ncdc.mohfw.gov.in/iec-on-amr/> पर उपलब्ध है।
